खण्ड: 3, अंक: 04 अप्रैल 2020

संश्लेषण

डी सी आर सी हिन्दी मासिक पत्रिका

कोरोना संकट एवं संघर्ष: एक भारतीय परिप्रेक्ष्य

डी.सी.आर.सी.
विकासशील राज्य शोध केन्द्र
दिल्ली विश्वविद्यालय

मुख्य संपादक
प्रो. सुनील के चौधरी

संपादक
डा. रमेश भारद्वाज
नागेन्द्र कुमार
शरद कुमार यादव

संपादकीय मंडल
डा. अभिषेक नाथ
कुँवर प्रांजल सिंह
आशीष कुमार शुक्ल

© डीसीआरसी 2020

रूपाकंनः आर किशोर

संश्लेषण

कोरोना संकट एवं संघर्षः एक भारतीय परिप्रेक्ष्य

अनुक्रमिका

संपादकीय i-ii

1. कोरोना संकट का भारतीय सन्दर्भः चुनौतियाँ एवं संभावनाएं 1–4
– महेश कुमार दीपक

2. कोरोना संकट एवं संघर्षः एकजुटता की अपनी साझी संस्कृति 5–7
– सृष्टि

3. लॉक करो(ना):– वैश्विक महामारी के विरुद्ध भारतीय सुरक्षा प्रतिमान 8–10
– प्रीति यादव

4. कोरोना संकट का भारतीय युवा जीवन पर प्रभावः एक संघर्ष 11–13
– विमला

5. प्रवासी मजदूर संघर्ष एवं राज्यों का संकटः समस्या से समाधान तक 14–17
– डॉ० अर्चना सौशिल्या

6. कोरोना संकट एवं भारत का परिवर्तित संघात्मक स्वरूप 18–20
– अफजल अहमद अंसारी

7. कोरोना संघर्षः केंद्र एवं राज्य संबंधों के नये आयाम – डॉ रंजना 21–24

8. कोरोना संकट एवं संघर्षः केरल मॉडल के परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन 25–28
– जया ओझा

9. भारत में छोटी उम्र के बच्चों पर कोरोना वायस के प्रभाव 29–31
– अनिल कांबोज
– डॉ० रितु तलवार

सम्पादकीय

शोध पत्रिकाओं की निरंतरता उनकी समसामयिकता की परिचायक है। इस शोध निरंतरता के क्रम में अपनी हिन्दी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के वर्ष 2020 के इस चतुर्थ अंक को पाठकों के समक्ष प्रेषित करते हुए हमें एक बार पुनः अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। संश्लेषण के माध्यम से प्रत्येक माह की ज्वलंत वास्तविकता एवं समसामयिकता को अपने शोधार्थियों, शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों द्वारा विकासशील राज्य शोध केन्द्र, दिल्ली विश्वविद्यालय की वर्ष 2019 से यह एक निरंतर पहल शोध के प्रति हमारे अनवरत प्रयास एवं समर्पित संघर्ष को प्रकट करती है।

वर्ष 2020 ने कोरोना के रुप में संपूर्ण विश्व को अपनी त्रासदी से ग्रसित कर दिया। कोरोना के इस कहर ने एक जहर के रुप में समस्त राष्ट्रों सहित समग्र मानवता को ही डसना आंरभ कर दिया। इस संकट के निवारण के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने अपने–अपने स्तरों पर प्रयास करना आरंभ कर दिया। एक वैश्विक महामारी के रुप में उपजे इस रोग की विकरालता ने शासन व सरकार, जनता व कारोबार, संगठन व सरोकार सभी के समक्ष एक व्यापक चुनौती रख दी।

वैश्विक स्तर पर संघर्ष के आनुरुप्य भारत ने भी इस संकट के समाधान के लिए विभिन्न नीतियों, रणनीतियों एवं दृष्टिकोणों को प्राथमिकता दी। प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सीय एवं मानवीय परिप्रेक्ष्य में तथा लॉकडाउन एवं अनलॉकिंग के आलोक में कोरोना रोकथाम के लिए सरकार की विभिन्न प्रारंभिक पहल भारतीय दृष्टिकोण द्वारा इस संकट एवं संघर्ष के नवाचार को प्रकट करने का एक न्यायोचित प्रयास है।

विषय की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने 'कोरोना संकट एवं संघर्षः एक भारतीय परिप्रेक्ष्य' विषय पर लेख आमंत्रित किये। नौ उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ कोराना संकट से संघर्षशील भारतीय दृष्टिकोण सहित एक व्यापक भारतीय परिदृश्य को विश्लेषित करने के प्रयास को प्रकट करते हैं। लेखकों के विचार स्वतंत्र चिंतन के परिचायक हैं जो उनकी रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को प्रद्रशित करते हैं।

वर्ष 2020 के संश्लेषण के इस अप्रैल माह के चतुर्थ अंक में प्रकाशित लेखों पर पाठकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही हम मई माह के अपने पंचम समसामयिक तथा महत्वपूर्ण अंक में और अधिक गुणात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे।

संपादक मंडल

रविवार, 14 जून 2020

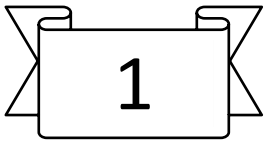

कोरोना संकट का भारतीय सन्दर्भः चुनौतियाँ एवं संभावनाएं

महेश कुमार दीपक

असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, दयाल सिंह महाविद्यालय (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय

महामारियों का केवल चिकित्सीय सन्दर्भ नहीं होता है। ऐसे संकटों में मानवता के लिए अनेक निहितार्थ अन्तर्निहित होते हैं। महामारियाँ तथा प्राकृतिक आपदाएं कहीं न कहीं मानव द्वारा पर्यावरण के अपरिमित दोहन का परिणाम रहीं हैं। एक शताब्दी से ज्यादा हुए जब महात्मा गाँधी ने अपनी रचना हिन्द स्वराज (1909) के माध्यम से मानवता को प्रकृति के साथ नए तरीके से जीवन जीने का सन्देश दिया था। कोरोना संकट से उपजे वर्तमान परिदृश्य ने निश्चित ही भारत जैसे राष्ट्र को सीमित संसाधनों के मानव हित में असीमित उपयोग की अपरिहार्यता को चिन्हित किया है। उत्तर–कोरोना भारत में कूटनीति, वैश्वीकरण, उर्जा उपयोग, विक्तिय प्रबंधन एवं नियोजन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों में पूर्णतः नीतिगत नवाचार की संभावनाएं प्रतिबिंबित होती दिख रहीं हैं।

कोरोना संकट ने भारत के संवैधानिक तथा संघीय ढांचे की परीक्षा ली है। भारत ने अपनी विशालता तथा विविधता के आलोक में संघीय व्यवस्था को अपनाया। कोरोना जैसे महामारियों का सामना करने में राज्यों की भूमिका निर्याणक होगी। अतः भारत के संविधान– निर्माताओं के विचारों से तारदम्यनुसार विकेन्द्रित संघीय प्रणाली की प्रासंगिकता पुनर्चिन्हित हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में यह समझना गलत नहीं होगा कि ग्राम स्वराज की संकल्पना को साकार करने का समय आ पहुंचा है। भारत को अपने विकास का प्रतिमान 'स्थानीय से वैशविक' दृष्टिकोण को बनाना होगा। इसके लिए स्थानीय निकायों को विक्तिय, जनोन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा कार्य–कलाप समबन्धी स्वयाक्तता प्रदान करनी होगी जिससे वे और दक्षता से अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें। इस पूरे सन्दर्भ से यह स्पष्ट है कि विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली ही भारत के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम राजनीतिक निदर्श है।

ऐसे निदर्श के सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु वर्तमान सदी में नए प्रतिमानों आवश्यकता है। अतः भारत को कोरोना जैसे व्यापक महामारियों तथा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक

सशक्त वैधानिक ढांचा नियत करने तथा उनको समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप अवस्थित करने की भी आवश्यकता है। यद्यपि भारत ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सुनामी (2008) तथा केदारनाथ त्रासदी (2013) जैसे संकटों का सामना करने का प्रयास किया है तथापि प्राकृतिक आपदा तथा महामारी के प्रबंधन में बुनियादी अंतर होता है। महामारी प्रबंधन हेतु किसी स्पष्ट नियामक संस्था तथा विधान का अभी भी अभाव है। इस स्थिति में कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए अभी भी राज्य सरकारें महामारी अधिनियम, 1897 के विभिन्न प्रावधानों का ही प्रयोग कर रही हैं। महामारी अधिनियम, 1897 के प्रावधानों का सन्दर्भ तथा क्रियान्वयन पूर्णतः औपनिवेशिक था। कोरोना ने महामारी के रोकथाम की रणनीति को पूर्णतः नए आयामों से युक्त किया है। लॉकडाउन, सोशल डिसटेंसिंग, क्वारनटाइन तथा पी.पी.ई. जैसे नयी शब्दावलियाँ महामारी से लड़ने के आलोक में बदलती सामाजिक जीवन शैली को इंगित करती हैं। अतः भारत को उत्तर–कोरोना समय में सर्वथा नए कानूनों तथा विधायी परिभाषाओं की आवश्यकता होगी, जिससे व्यापक संकट से बिना किसी वैधानिक अवरोध के निपटा जा सके।

उत्तर–कोरोना काल में भारत के आर्थिक नियोजन की प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण निश्चित है। कोरोना संकट के मूलतः एक चिकित्सीय समस्या होने के कारण इसका प्रत्यक्ष प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्र पर पड़ा है। प्रति–व्यक्ति चिकित्सालय अनुपात, दवाओं की उपलब्धता, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, तथा संपूर्ण चिकित्सा से जुड़ी अवसंरचना चिंतनीय स्थिति में है। भारत को इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुरूप ही होगा कि भारत सभी नागरिकों के लिए मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएँ सुनिश्चित करे। इस क्षेत्र में भारत ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की है। परन्तु हाल में ही प्रकाशित विश्व कुपोषण रिपोर्ट में यह इंगित किया गया है की भारत उन 88 देशों की सूची में शामिल है जो 2025 तक अपने पोषण सम्बन्धी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अतः उत्तर– कोरोना काल में समेकित स्वास्थ्य नीति पर कार्य करना समीचीन होगा। साथ ही, भारत को अपने अर्थव्यवस्था के स्तंभों को गांधीवादी मूल्यों के अनुरूप आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा। इस दृष्टिकोण को अपनाये जाने से भविष्य में भारत बड़ी से बड़ी विपदा का सामना करने के लिए सक्षम हो सकेगा।

21वीं सदी में किसी देश की शक्ति का आकलन उसकी सैन्य शक्ति के आधार पर नहीं अपितु उसकी जनांकिकीय ज्ञान क्षमता के द्वारा ही होगा। अतः उत्तर–कोरोना भारत के लिए उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना होगा जो उसे वर्तमान शताब्दी की ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर

सके। पिछले 25–30 वर्षों के वैश्वीकरण जनित विकास ने अनचाहे रूप में ही सही, सामाजिक असमता की खाई उत्पन्न की है। इसका सबसे प्रमुख कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, समेकित ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गुणवक्तापूर्ण निवेश तथा अवसंरचना– निर्माण की कमी रहा है। स्थानीय को वैशविक स्वरुप प्रदान कर के ही ऐसा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

कोरोना संकट ने भारत को श्रमशक्ति की समस्याओं को राष्ट्रीय राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना दिया है। मानो जो श्रमजीवी जनसँख्या महानगरों की अट्टालिकाओं तथा नगरीय कचरे के ढेरों के पीछे छिपी थी, वह अकस्मात् ही संकटापन्न तथा विद्रूप अमानवीय परिस्तिथियों का सामना करते हुए समाज के सामने प्रकट हो गयी है। संम्भवतः भारत के विभाजन (1947) के पश्चात पहली बार इतने बड़े मानव समूहों द्वारा राजमार्गों पर पलायन के करुण दृश्य सबके समक्ष हैं। सभ्य समाज में ऐसे परिदृश्य पूर्णतः अस्वीकार किये जाने चाहिए। भारत के श्रमजीवी राष्ट्र–निर्माण की रीढ़ हैं। उत्तर–कोरोना समय में देश की अर्थव्यवस्था को वापिस गति प्रदान करने में उनकी भूमिका निश्चय ही निर्णायक होगी। अतः भारत की श्रमशक्ति को विकास प्रक्रिया का एक अहम् तथा सम्मानजनक भागीदार बनाया जाना आवश्यक है।

कोरोना संकट विश्व कूटनीति एवं राजनीति के सन्दर्भ में मील का पत्थर साबित होगा। जिस प्रकार वर्ष 1991 को शीत–युद्ध के पश्चात के बदले हुए विश्व के सन्दर्भ में याद किया जाता है, ठीक उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर दूरगामी प्रभाव डालने हेतु कोरोना वर्ष के रूप में 2020 ईस्वी का दर्ज होना लगभग तय है। राष्ट्रों के आपसी सम्बन्ध आने वाले वर्षों में कोरोना–पूर्व तथा उत्तर कोरोना काल के रूप में व्याख्यायित किये जायेंगे। अर्थनीति, कूटनीति पर हावी होगी अर्थात आर्थिक प्रतिस्पर्धा का निर्णायक प्रभाव कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा पर पड़ेगा। चाहे वह अमेरिका–चीन सम्बन्ध हों अथवा यूरोपियन संघ के देशों के आपसी सम्बन्ध, नए समीकरणों का उभरना निश्चित है। भारत को इन देशों के साथ उपमहाद्वीप में अपने पड़ोसियों के साथ अपने आन्तरिक तथा वैदेशिक नीतिगत हितों के अनुरूप संतुलन साधना होगा। कोरोना संकट के समाप्त होते ही विश्व कूटनीति की नयी संभावनाओ का सूत्रपात होगा। भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ नयी भूमिका में आना होगा। कोरोना के कारण अमेरिका तथा चीन जैसे देश आर्थिक और कूटनीतिक दृष्टियों से कमजोर होंगे। भारत जैसे देश के लिए यह एक अवसर होगा कि वह अपनी अन्तर्रष्ट्रीय भ्मिका को पुनः परिभाषित करे। ऐसा

करना कठिन नहीं होगा क्योंकि अभी तक भारत ने कोरोना संकट का सामना बड़े ही संतुलित तरीके से किया है।

उत्तर–कोरोना काल में भारत के संवैधानिक मूल्य ही भारत की विकास कथा गढ़ेंगे। भारतीय संविधान एक अप्रतिम निर्देशन ग्रन्थ है जिसके अनुपालन से सामाजिक सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। वर्ष 1991 से 2020 के मध्य भारत की विकास यात्रा का एक और चरण पूर्ण होता दिख रहा है। आने वाले वर्षों में भारत को अपने विकास का मार्ग नयी रीति से निर्धारित करना होगा। समरस आर्थिक विकास, पिछड़े तथा सीमान्त जनसमूहों, पर्यावरण संवर्धन तथा संरक्षण, सामाजिक क्षेत्रों में उचित अनुपात में निवेश जैसे आदर्शों को विकास के विमर्श तथा निदर्श का आधार बनाना होगा। तकनीक का मानव जाति के कल्याण हेतु अनुप्रयोग उत्तर–कोरोना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। चुनौतियों में ही अवसर निहित होते हैं– जिस प्रकार 20वीं सदी अमेरिकी सदी कहलाई, संभवतः उत्तर–कोरोना विश्व–व्यवस्था में भारत के लिए 21वीं सदी को अपने नाम करने की संभावनाओं की आहट छुपी हुई है।

♦♦♦♦♦

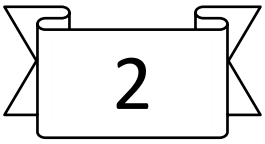

कोरोना संकट एवं संघर्षः एकजुटता की अपनी साझी संस्कृति

सृष्टि

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविधयालय

कोरोना वायरस मात्र एक स्वास्थ्य केंद्रित संकट नहीं हैं अपितु इस महामारी से हमारे समाज, अर्थतंत्र, लोकतंत्र एवं राजनीति से संबंधित विभिन्न प्रश्न सामने आ खड़े हुए है। एक प्रकार से इसने हमें दर्पण दिखा दिया है, जिसमें हम किस प्रकार के विसंगत समाज में रहते है और हमारी शासन–संचालन व्यवस्था का प्रतिबिंब प्रदर्शित होता है।

यद्यपि मानव जाति के इतिहास में विभिन्न प्रकार की महामारियाँ आती रही है। प्लेग, हैजा, मलेरिया जसे प्रकोप एड्स व सार्स जैसी बीमारियों ने लाखों जानें ली है। अंतर–मात्र इतना ही है कि आधुनिक तकनीकी और इंटरनेट के तथाकथित विकसित युग में एक महामारी आती है और उसका सामना करने के लिए हम स्वयं को पूर्ण रूप से सक्षम नहीं पाते है। 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में लॉकडाउन ही सबसे सरल और व्यावहारिक उपाय हो सकता है, परंतु इसी लॉकडाउन ने यह भी प्रदर्शित कर दिया है कि स्वतंत्रता के 70 वर्षों के पश्चात भी हमारे समाज में कितना वृहत असंतुलन बना हुआ है।

भिन्न–भिन्न लोगों के लिए लॉकडाउन का अर्थ भिन्न–भिन्न है। कुछ लोगों के जीवन को लॉकडाउन ने वायरस से भी अधिक प्रभावित किया है। कुछ लोग तो घरों की बालकनी में आकार थालियाँ बजा सकते है, परंतु एक अधिक बड़े वर्ग के पास तो रहने के लिए घर ही नहीं है। मुंबई, दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में एक–एक कक्ष में 8–9 कामकाजी लोग रहते है। जिसका दृश्य हम कोरोना संकट के समय में देख रहे है कि कैसे हजारों की संख्या में काम करने वाले लोग सड़कों पर फंसे हुए है, जिनके पास न रहने के लिए घर है और न ही खाने के लिए भोजन और न ही किसी प्रकार की कोई सामाजिक सुरक्षा है।

पंजीवादी आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत ये सभी लोग गाँव को छोड़कर शहर में रह रहे थे। छोटे–छोटे कामकाज में लगे हुए ये श्रमिक मेहनत की कमाई बचाकर अपने गाँव में बसे परिवारों का गुजारा कर रहे थे। अचानक लॉकडाउन के चलते ट्रेन, बस व टैक्सी सभी सेवाएं बंद हो

गई। ऐसे में लाखों की संख्या में श्रमिक पैदल ही गाँव की और चल पड़े। भूख व प्यास के मारे कुछ लोगों ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया और पुलिस की मार–पीट, दमन व उत्पीड़न की विभिन्न घटनाएं सामने आई। ये प्रतिरूप मात्र है। कोरोना वायरस ने विकास और आर्थिक प्रगति के दावे को भी प्रभावहीन सिद्ध कर दिया है।

कुछ सामाजिक विचारकों का कहना है कि तानाशाही राज्य प्रणाली के चलते चीन ने कोरोना वायरस की वास्तविकता को गुप्त रखा है। इस तथ्य के विभिन्न प्रमाण भी मिले है। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व में वायरस के संघर्ष के नाम पर सामान्य लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के छीने जाने का संकट प्रदर्शित हो रहा है। भारत में भी आवश्यक है कि इस संघर्ष में नागरिकों को समान रूप से भागीदार बनाया जाए। नागरिकों को उचित जानकारी प्राप्त होना व उन पर विश्वास करना भी उतना ही आवश्यक है। महामारी के नाम पर राज्य व पुलिस के हाथों में सत्ता व बल का केंद्रीकरण उचित नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि नागरिकों की सूझ–बुझ एवं विवेक पर विश्वास रखा जाए तथा नागरिकों का सहयोग मांगा जाए। कोरोना वायरस के विरुद्ध संघर्ष में पारदर्शिता आवश्यक है, साथ ही बायोमेट्रिक टेक्नॉलजी के चलते एप आधारित प्रोग्राम्स भी निजी गापनीयता के लिए संकट बन सकते है।

इसके अतिरिक्त, कोरोना वायरस ने यह भी प्रदर्शित किया है कि हमें विकास की नई परिभाषा की आवश्यकता है। विकास ऐसा हो जहां सभी के लिए स्थान हो और सभी के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा व संवृद्धि की व्यवस्था हो तथा विकास ऐसा हो जहां जल, जंगल व जमीन जैसे नेसर्गिक संसाधन हो और जिनसे पृथ्वी को हानि न पहुंचे। लॉकडाउन के चलते हमारे महानगरों की वायु की गुणवत्ता में उच्च स्तर पर सुधार आया है अतः विकास ऐसा हो जहां एक सुसंगत समाज का सृजन हो। जहां कुछ लोग अरबपति न ह। हमें ऐसी आर्थिक नीतियों के बारे में चिंतन करना पड़ेगा जहां देश का प्रत्येक नागरिक गरिमापूर्ण जीवन का निर्वहन कर सके।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोरोना वायरस को समाप्त करने के लिए सामाजिक दूरी की संकल्पना को सफल माना जा सकता है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचायती राज दिवस पर देश की पंचायत प्रतिनिधियों को 'वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग' के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि "दो गज दूरी" कोविड–19 से लड़ने के लिए ग्रामीण भारत का ही मंत्र है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थितः थे। उन्होंने "ई–ग्राम स्वराज एप" और "स्वामित्व योजना" का भी शुभारंभ किया। "ई–ग्राम स्वराज" ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने में और उनके कार्यान्वयन में सहायता करता है।

जम्मू–कश्मीर, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब व असम, इन राज्यों में प्रयोग के स्वरूप में प्रारंभ की गई "स्वामित्व योजना" ड्रोन और नवीनतम सर्वेक्षण विधियों का उपयोग करके गाँवों में बसी हुई भूमि या आवासों का मानचित्र बनाने में सहायता करती है।

इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हमारे धार्मिक देश के लोग यह समझ रहे है कि महामारी के संकट में विज्ञान एवं मेडिकल सूचना ही काम आ सकती है न कि धार्मिक आस्था। मंदिर, मस्जिद व चर्च है, तथापि ईस्टर, राम नवमी, रमजान घर पर ही बैठकर मनाया जा रहा है और डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ और वैज्ञानिक ईश्वर के स्वरूप में सामने आ रहे है। वे दिन–रात लगातार मेहनत में लगे हुए है कि कैसे मरीजों को बचाया जाए। वैज्ञानिक कोरोना वायरस के विरुद्ध वैक्सीन बनाने में लगे हुए है। अतः एक सामान्य व्यक्ति देख रहा है कि ज्ञान, विज्ञान व सूचना ही मानव प्रजाति क लिए कल्याणकारी है, न कि धार्मिक युक्तियाँ।

कोरोना वायरस के विरुद्ध इस संघर्ष में वास्तविक सफलता "संघर्ष की धारणा" निर्धारित करेगी। इस संघर्ष में अपनाए गई कार्यनीति व रणनीति पर आवश्यक रूप से बल देना महत्वपूर्ण है। हमें समझना होगा कि हम सभी परस्पर रूप से जुड़े हुए है और पृथ्वी हम सभी का साझा घर है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। अतः कोरोना वायरस के विरुद्ध संघर्ष में भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण संकल्पना "एकता" के तत्व पर मुख्य रूप से बल देना आवश्यक है।

♦♦♦♦♦

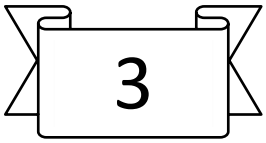

लॉक करो(ना):– वैश्विक महामारी के विरुद्ध भारतीय सुरक्षा प्रतिमान

प्रीति यादव

प्रवक्ता, राजनीति विज्ञान, दिल्ली शिक्षा निदेशालय

जनवरी 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू.एच.ओ.) द्वारा विश्व के समक्ष 10 स्वास्थ्य चुनौतियों की एक सूची प्रस्तुत की गई, जो वर्तमान पीढो के लिए सर्वाधिक घातक बनी हुई है। इस सूची में वायु प्रदूषण– जलवायु परिवर्तन, गैर–संक्रमण रोग, एन्फ्लूएंजा महामारी, खराब स्वास्थ्य सेवाएं, रोगाणु रोधी प्रतिरोध, गुणवत्ताहीन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण संकोच, इबोला–परभक्षी बीमारी, डेंगू एवं एच.आई.वी. समस्याएं समिल्लित है। समकालीन जनमानस एवं चिकित्सा क्षेत्र इस सूची की समस्त चुनौतियों से परिचित एवं प्रशिक्षित दोनों हैं। परंतु तत्काल समय तक डब्लू.एच.ओ. और विश्व सम्भवतः उस महामारी और महात्रासदी से अनभिज्ञ रहें होंगें जो आज इन 10 स्वास्थ्य जोखिमों को पछाड़ते हुए ''शताब्दी की महामारी'' के रूप में सम्पूर्ण विश्व में कोहराम मचा रही हैं। डब्लू.एच.ओ. द्वारा जनवरी 2020 में इस वैश्विक महामारी को कोविड–19 का नाम दिया गया। जिसके संक्रमण, लक्षण और निदान के विषय में कोई भी सर्वमान्य प्रतिमान आविष्कृत नहीं हो पाया है।

चीन से आरंभ हुए इस वायरस ने जो अनियंत्रित और अविरामित गति को अपनाया उसने कोरोना के संघर्ष में डब्ल्यू.एच.ओ. के विवेक और विश्वास को भी कमजोर सिद्ध कर दिया। इटली, स्पेन, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसी विशाल एवं विकसित अर्थव्यवस्थाएँ जब कोरोना के कहर से ध्वस्त होने लगी तो समस्त मानव उपलब्धियां (आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी इत्यादि) नगण्य सी प्रतीत होने लगी। विकसित देशों के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य दुर्गों को कोरोना एक अदृश्य ताकत के रूप में भेदता गया और मानवता दम तोड़ती गई। इस संपूर्ण प्रकरण ने कोरोना संघर्ष में विकसित देशों के संघर्ष प्रतिमान को अस्पष्ट और असफल प्रस्तुत कर दिया।

भारत विश्व की 17.2 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधि, विकासशील अर्थव्यवस्था का चक्र और विशाल सामाजिक समस्याओं जैसे नैसर्गिक गुणों के साथ कोरोना संकट से किस प्रकार संघर्ष कर पाएगा यह संपूर्ण विश्व के लिए विभिन्न अटकलों का विषय बना हुआ था। परंतु भारत ने

विश्व परिपाटी से प्रभावित ना होते हुए वैश्विक अनुभवों एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप कोरोना रणनीति को निर्धारित किया, जो ''थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल'' के दर्शन को ''ग्लोबल'' में रूपांतरित करने का उद्धरण प्रस्तुत करती है।

भारत ने आरंभ से ही लॉक करो (ना) मॉडल की विश्वसनीयता और व्यवहार्यता को स्वीकारा है ।लॉक करो (ना) प्रतिमान राष्ट्रीय, सामाजिक एवं व्यक्तिगत तीनों स्तरों पर कोरोना के लिए समाजिक टीकाकरण एवं प्रतिरक्षा तंत्र विकसित करता है। यह मॉडल सामाजिक दूरी, स्वच्छता, सचेतना, सविनय सहयोग और सह अस्तित्व के मूल्य पर आधारित हैं। लॉकडाउन के प्रतिमान को अन्य देशों ने भी अपनाया हुआ है परंतु भारत ने समय, स्तर और संवेदना के सटीक सम्मिश्रण से इसे विश्व प्रचलित और प्रभावित बना दिया है। इस विषय को स्वोकारते हुए **the oxford stringency index** ने भारत को इस कदम के लिए 100 अंक प्रदान किए।

लॉकडाउन– काउंटडाउन

1) लॉक डाउन 1.0 (25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक)

भारत में कोरोना संक्रमण के प्रथम–द्वितीय चरण में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम एवं सर्वव्यापी लॉक डाउन लागू कर दिया गया, जब तक संक्रमित मरीज एवं मृत्यु की संख्या मात्र 360 और 7 थी। लॉक डाउन 1.0 आर्थिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक मोर्चे पर सरकार की सशक्त एवं प्रतिबंध भूमिका का प्रदर्शन रही। ''जान बनाम जहान'' की जुगलबंदी में से जान अर्थात जीवन को प्राथमिकता दी गई। जीवन को सुरक्षित और संक्रमण रहित रखने के लिए 1.7 लाख करोड़ की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, भोजन– राशन की व्यवस्था, आर.बी.आई. द्वारा राजकोषीय उपाय एवं जनता कर्फ्यू के सख्त नियम अत्यंत महत्वपूर्ण कदम रहें।

2) लॉक डाउन 2.0 (15 अप्रैल से 3 मई 2020 तक)

लॉक डाउन 1.0 की सफलता एवं भावी आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकारों द्वारा पुनः लॉक डाउन बढ़ाने की मांग पर लॉक डाउन 2.0 लाया गया। उस समय तक कुल संक्रमित मरीज एवं मृत्यु की संख्या 12,500 एवं 430 थी। अर्थव्यवस्था और आजीविका की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जान बनाम जहान की जुगलबंदी मे संतुलन लाने का प्रयास किया गया। इस दौरान भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैदा हुए द्वंदात्मक विषयों–स्वार्थ बनाम परमार्थ, राष्ट्रीयता बनाम वैश्विकता और संस्कृति बनाम विकृति जैसे पहलुओं पर राजधर्म का पालन करते हुए अपने विश्व नेता के गुणों का परिचय दिया। अमेरिका को हाइडरॉक्सक्लोरोक्वाइन दवा, ऑपरेशन संजीवनी

और मेडिकल डिप्लोमेसी द्वारा भारत सरकार ने संकट के समय मे भी अपनी संस्कृति ''सर्वे भवंतु सुखिन, सर्वे संतु निरामया'' के दर्शन का अनुसरण किया।

3) लॉक डाउन 3.0 (4 मई से 17 मई 2020 तक)

कोरोना संक्रमण अपने तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। संक्रमित मरीज एवं मृत्यु की संख्या 60,000 और 2,000 पार कर चुकी है। इस चरण के अंतर्गत संपूर्ण भारत को तीन जोन–रेड, ऑरेंज और ग्रीन में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत कोरोना रणनीति क्षेत्र की स्थिति एवं स्तर के आधार पर निर्मित होगी और साथ ही साथ उत्पादन गतिविधि को भी गति दी जाएगी।

12 मई 2020 को रात 8:00 बजे प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉकडाउन 4.0 के भी संदेश दे दिए गए हैं जो एक नए रूप और ''आत्मनिर्भर भारत अभियान'' पर केंद्रित होगा ।

भारत के लॉक करो (ना) प्रतिमान के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सामाजिक दूरी एक प्रबल समाजिक टीकाकरण और प्रतिरक्षा तंत्र की शक्ति रखती है जिस कारण ही भारत ''फ्लैटटेनिंग द कर्व'' के लक्ष्य को प्राप्त कर सका। परंतु समय के साथ साथ यह वैश्विक महामारी आर्थिक महामारी में तब्दील होती जा रही है– कृषि, उत्पादन और सेवा क्षेत्र की बदहाली, अर्थव्यवस्था की शून्य गति और बेरोजगारी की बाढ़ ने संकट को और विकराल बना दिया है। वर्तमान मे कोरोना संक्रमण में भारत 7 प्रतिशत की व्रद्धि दर और 32 प्रतिशत की स्वास्थ्य दर के साथ 14वें स्थान पर है। परंतु सरकार और समाज द्वारा भावो लॉकडाउन में ''जान बनाम जहान'' को संतुलित करने में कोरोना की गति के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह संघर्ष संपर्क का नहीं सतर्कता का है।

''कोरोना की कड़ी, मजबूत है बड़ी।
संपर्क कि नहीं, सतर्कता की है घड़ी।।''

♦♦♦♦♦

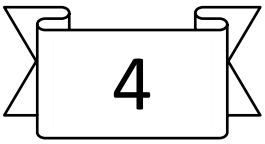

कोरोना संकट का भारतीय युवा जीवन पर प्रभावः एक संघर्ष

विमला

शोधार्थी, मनोविज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश

भारत एक विकासशील देश के साथ–साथ कृषि प्रधान एवं युवा प्रधान देश भी है। आज वर्तमान समय में चहुँओर कोंरोना महामारी (कोविड–19) का हो रहा प्रलाप है जिसके कारण समस्त विश्व त्राही–माम कर रहा है। क्या हो गया है आखिर देश–विदेश को कोई भी अस्त्र–शस्त्र, ज्ञान–विज्ञान नही काम आ रहा है आये दिन कुछ न कुछ पलयमयी देखने को मिल ही रहा है। ये तो जग–जाहिर है कि कोरोना के संक्रमण ने समस्त विश्व को डगमगा दिया है। कही पर निर्मम तरीके से युवा मजदूर मजबूर होकर मौत कि बेदी पर चढते जा रहे है। वें देश विदेश अपने घर के लोगों का भरण–पोषण करने के लिए गये थे जो आज देश विदेश के घरों में कैद रहकर भुखमरी और मौत का शिकार हो रहे है। आखिर हो क्या गया है इस भारत देश को और यहॉ के युवा पीढी को?

इस कोरोना काल में संघर्ष करते –करते भ्ुखमरी, दयनीय मनःस्थिति, आर्थिक तंगी के कारण युवा पीढी संर्घष करते–करते अपने जीवन का बलिदान देती जा रही है, जबकि ये सबसे अधिक उर्जावान, बलवान और श्रेष्ठ पीढी है लेकिन इस महामारी के काल में युवा वर्ग कि स्थिति बद् से बद्त्तर होती जा रही है । तों आइए आवश्यकता है कि इनकी प्रत्येक स्थिति पर ध्यान दिया जाये। आखिर ये एक देश कि भौतिक–बौद्धिक सम्पदा है ।

युवा जो की सबसे गुणवान और बलवान पीढी है, किसी देश कि कहे या फिर भारत। तों भारत तों युवा पीढ़ो के मामले में अत्यिधक सम्पन्न है। वर्तमान समय में लाकडाउन जैसी भी स्थिति इस देश में आ गई है। समस्त जनता के साथ–साथ युवा पीढी भी घरों में कैद होने को मजबूर होकर कैद रह गइ है अब जब इतनी उर्जावान पीढी अपने अपने घरो में कैद है तो कुछ ना कुछ नकारात्मकता तों उनको घेर ही ले रही है। आखिर किस प्रकार कि नकारात्मकता तों इसका उत्तर यह है कि युवा वर्ग कही न कही विषादी स्वाभाव का होता जा रहा है, मानसिक स्थिति के स्तर में गिरावट होती जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि वे भले ही तन से स्थिर

है पर मन उनका स्थिर नही है। अब प्रश्न उठता है आखिर क्यों तों यह बिल्कुल पूर्णतः स्पष्ट हो रहा है कि एक ऐसा वर्ग जो कार्य करने के इच्छुक है और उसको किसी कार्य में न लगाया जाये तो वह कुंठित रहेगा और कुंठित हमेशा उदास और अक्रामकता से भरा रहेगा जिससे युवा वर्ग को आये दिन सामाजिक, शारीरिक और मानसिक समस्याएँ घेरे रहती है, और इसमें किंचित मात्र भी संदेह नही है। अतः इससे स्पष्ट है कि इस कोरोना महामारी काल में युवा वर्ग विभिन्न प्रकार के संघर्षो में लिप्त होकर अपन जीवन को व्यतीत कर रहा है ।

भारत देश के कुछ युवा जों आज देश–विदेश में है वों भी अपना जीवन इस महामारी के कारण बडी कठिनाइयों से गुजार रहे है कुछ तों भूखे–नंगे पैर अपने देश को चल पडे है आखिर चले भी क्यों नही रोजी–रोटी कुछ है नहीं। आखिर भूख पेटं रह कर अपना जीवन कब तक गुजारें। यहॉ पर यह कहने का मन होता है कि भूखें पेट भजन नही होवे। आखिर है ना बडा ही भयंकर दृश्य भारत जैसे विकासशील देश के लिए कि ये कोरोना काल क्या महाकाल है या फिर प्रलय काल जों समस्त मनुस्य जाति का दुशमन हो गया है और इसकी डॉह का शिकार युवा वग संर्घष करके चुका रहा है। कभी–कभी तों युवा अपने घर पहुॅचने से पहले ही मृत्यु कि शैया पर लेट जा रहा है कोरोना न सही तों मार्ग में आक्समिक घटनाएँ उन्हें अपनी चपेट में ले ले रही है आखिर इसका भी कारण कोरोना महामारी ही है ।

वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी के कारण युवा वर्ग कि शिक्षा भी अस्त–व्यस्त हो गई है। जहॉ वों अपनी किताबी ज्ञान पर अपना ध्यान केन्द्रित किये नजर आते थे, आज कोरोना महामारी के गंत्र का जाप कर रहे है। कुछ तों पूरी तरह से किताबी दुनियां से दूरी बना ले रहे है क्योकि आज सोशल–मीडिया के द्वारा ज्ञान का अर्जन करे भी तों आखिर कितना? क्योंकि जिन युवा के पास प्रर्याप्त साधन है वों तों इसका पूर्णतयः लाभ ले रहे है पर जिनके पास इलेक्टरॉनिक साधन नही वों क्या करें कैसे ज्ञान का अर्जन करे? यदि जिन युवा वर्ग के पास यदि साधन है भी तों वह भी अत्यिधक ज्ञान का अर्जन करने में स़क्षम नही हो रहे है क्योकि कही न कही उचित मार्गदर्शन को कमी है । जिससे वें यह नही समझ पा रहे है कि उनके लिए उचित क्या है? अब जब भारत देश का युवा वर्ग अपने लिए यह समझने में असमर्थ रहता है कि उसके लिए क्या उचित क्या अनुचित तों यह समझने वाली बात है कि इस महामारी के प्रलय काल में उनका जीवन कितना संघषमय होगा, कितन संघर्ष के साथ वें अपना जीवन–यापन कर रहे है? क्योंकि जिस भी क्षेत्र में देखा जायें युवा वर्ग ही बढ–चढ कर हिस्सा लेता आया है। अतः आवश्यकता है कि युवा वर्ग की मानसिक स्थिति पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव

न पडनें दिया जायें। जिससें ये कोरोना के महामारी काल में वे स्वयं कों इस प्रतिकूल परिस्थिति से अनुकूल परिस्थिति बना कर खुद को सकारात्मकता सें ढाल सके।

कोराना महामारी का काल तों, प्रत्येक पीढी के लिए संघर्षमय है पर युवा वर्ग की मनः स्थिति पर अत्यिधक ध्यान देनें कि आवश्यकता है। जिससे युवा पीढी का जीवन जों संर्घषमय हो गया है और जों कि भारत का ही अंग है इस महामारी के कारण बडी ही दयनीय स्थिति हो गई भारत के युवा संग भारतवासी युवा को। अतः आवश्यकता है तों इस कोरोना संकट काल में संघर्ष कर आ रहो चुनौतियों को स्वीकार करने की और युवा वर्ग के लोगों को विभिन्न मनोवैज्ञानिक सुविधाएँ प्रदान कर उनकी मानसिक और दैनिक स्थिति को सुधारनें को, तभी युवा वर्ग इस महामारी काल में ख़ुद को मजबूत आर कोरोना से लडनें में सक्षम बना सकेंगें, और एक भावी और उज्जवल भारत का निर्माण हो सकेगा। इसलिए इस कोरोना महामारी को सभी वर्ग के साथ–साथ खासकर युवा वर्ग के लोग एक सकारात्मक तरीके से लेकर अपने जीवन का आगें बढाये और एक खुशहाल–सुखमय जीवन व्यतीत करे। संघर्ष तो जीवन का अंग है और ये महामारी काल का भी अन्त जल्द ही हो जायेगा। बस इन्ही शब्दों के साथ मैं अपने इस लेख को कुछ स्व–रचित पंक्तियों के साथ विराम देती हूँ।

कि "हे युवा तुम देश की शान हो।
इस कोराना काल में गढ़ दों अपनी पहचान को।
मत घबराओं तुम इस महामारी से।
दिखा दों अपना हौसला बारी–बारी से।"
जय युवा! जय भारत!

♦♦♦♦♦

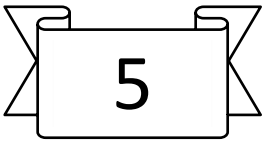

प्रवासी मजदूर संघर्ष एवं राज्यों का संकटः समस्या से समाधान तक

डॉ. अर्चना सौशिल्या

ऐसासिएट प्रोफेसर, अदिति महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

बीते दिनों में श्रमिकों, प्रवासी मजदूरों के दर्द की दास्तान सोशल मीडिया पर छाया रहा है जो अत्यंत ही दुखद एवं दर्द भरा था। लगभग सारी मीडिया ने एक एक करके सरकार की नाकामयाबी समाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधानों की खुल कर आलोचना की। उसी दरमियान मजदूर दिवस के अवसर पर देश में फँसे मजदूरों एवं छात्रों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुँचाने की घोषणा जारी की गई। गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के तहत श्रमिक स्पेशल ट्रेन को दो राज्यों को 'मानक प्रोटोकाल' के अन्तर्गत आपसी समझौते एवं बातचीत से ही अपने यहाँ फँसे मजदूरों को उनके राज्यों में भेजने की जिम्मेदारी दी गई।

रेलवे एवं राज्य सरकारें इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करके सभी दिशानिर्देशों का पालन करने पर बाद्य होगी पर इस महामारी में सबसे चिन्तनीय बिंदू है– इन प्रवासी मजदूरों का भयभीत होकर अपने कार्य क्षेत्र से अपने घर लौटने की। निःसंदेह पूरे श्रमिक वर्ग का बहुत अंश मात्र ही अपने कार्य क्षेत्रों का छोड़कर घर की तरफ आ रहे हैं– क्योंकि उन्हें रोजीरोटी कमाने का साधन नहीं है अतः घर वापस लौटना ही उनका विकल्प है। पर इस वैश्विक महामारी ने जहाँ सिर्फ भारत को ही नही अपितु विश्व की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रखा है वहाँ हम सभी भारतीय को इस व्यवस्था को झेलने को लिए तैयार रहना होगा –बड़े शहरों के हालात उनके अपने राज्यों से निःसंदेह बहुत ज्यादा बुरा है।

परंतु सुविधाये एवं प्रावधान भी ज्यादा देसरकारी घोषणाओं के पूरा ना होने पर अपनी आवाज उठाने, चिकित्सीय सुविधाओं की उपलब्धता भी ज्यादा है। फिर पैदल घरों को निकल पड़ना उनके हर संदेह का प्रतीक है।आखिरकार ये प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट कर भी क्या अपने लिए जीवनपर्यन्त जीविका का समाधान ढूंढ़ पायेंगे। देश की अर्थव्यवस्था में इनको विश्वास रखना होगा। जो मजदूर अभी भी रूक गये है– उनके लिए पुनः अर्थ व्यवस्था को खड़ा करना,

होगा क्योंकि बाजार व्यवस्था 'डिमांड एवं सप्लाई' पर चलती है अगर सभी मजदूर अपने घर वापस लौट गये तो बड़े–बड़े शहरों में चल रहे सभी लघु उद्योग धंधे **(Small Scale Industries)** ठप्प पड़ जायेंगे और बहुत बड़ा मध्यम वर्ग भी आर्थिक विपदा से घिर जायेगा जो उनके बदौलत अपनी जीविका चलाता है। आखिर इन मजदूरों का विश्वास क्यों डगमगाया, कुछ तो कारण सोशल मीडिया का भी रहा, जिसने आखिर श्रमिकों को पूरे हुजूम का नाम देकर सभी श्रमिकों में खलबली मचा दी और लोगों ने बार्डर, रेलवे स्टेशन पर जमावड़ा किया। समस्या के समाधान की जरूरत है नाकि दहशत फैलाने और असुरक्षा देने की। उसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई रही है। राज्यों के सरकारों ने सभी दावों को पूरा नहीं किया।

बस्ती में (झुग्गी झोंपड़ी) में रहने वालों को कुछ भी नसीब नहीं हुआ बल्कि फायदा सिर्फ उन्हें ही हुआ जिनके पास राशन कार्ड थे या उनका नाम सरकारी आंकड़ों में था– श्रमिकों को और भी हताश होकर शहर छोड़ने पर बाद्य कर दिया निःसंदेह जो लोग ट्रेन के द्वारा अपने स्थानों पर पहुँचाये जा रहे है– वे बकायदा 'गज की दूरी' मास्क पहन कर राज्य की बसों से स्टेशन तक आयेंगे और क्वारनटाईन सेंटर (पृथक केन्द्र) तक ले जायेंगे। हर राज्य ने अपने इन प्रवासी मजदूरों के आने पर प्रशासन की कमान संभाल रखी है। उनके चिकित्सीय परीक्षण, इलाज और आर्थिक पुर्नवास के लिए प्रबंध किये जा रहे हैं।

इन राज्यों को अपने पृथक केंद्रों में भोजन व्यवस्था, स्वच्छता एवं चिकित्सा की उत्तम व्यवस्था में काफी धनराशि खर्च करनी होगी। प्रखंड एवं पंचायत स्तरों पर अलग अलग प्रावधान करने होगें और उसके लिए सम्पूर्ण जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों को मिलकर 'एक्शन प्लान' बनाना होगा। 'चुरू एवं भीलवाड़ा' माडल को तरह 'कोरोना योद्धाओं' की मदद से इन सभी प्रवासी मजदूरों को पूरी तरह प्रशिक्षण देना होगा। गांवों में जागरूकता अभियान की मदद से 'कोरोना का कहर समझाना होगा मोबाइल एप बनाकर जरूरी सूचनायें, 'दूरी के सिद्धांत' एंव स्वच्छता संबंधी नियम बताने होंगे।

कौन, कब कहाँ किससे संक्रमित हो सकता है– उन्हें समझाना बेहद जरूरी हो जायेगा क्योंकि इन श्रमिक गरीबों को सबसे ज्यादा संक्रमण का डर बना रहेगा क्योंकि छोटे–छोटे घरों में बहुत लोगों के साथ रहना और गंदगी में रहना जहाँ ना तो साफ सफाई होगी और ना ही व्यवसाय को व्यवस्था। कोई भी राज्य अपने राज्यों में लौटे इन प्रवासियों को व्यवसाय देकर रोजी रोटी की जिम्मेदारी कैसे ले सकता है। और कही यही मजदूर अपने हीघर में अपने ही राज्य में तिरस्कार एवं बहिष्कृत होने लगे तो यह समस्या राज्यों के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी

क्योंकि राज्य पहले से ही वहाँ रह रहे लोगों पर सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं पर बेहिसाब खर्च कर रही है, वैसे में इन अतिरिक्त लोगों को पुनः बसाना, समाज में समाहित करना और जिम्मेदारियां लेना हर राज्य के लिए संघर्ष बनेगा।

पर सरकार को ये चुनौतियां लेनी होगी, संघर्ष करना होगा, क्योंकि ये लोग पहले से ही हाशिये पर चले गये हैं और हम इन्हें और पीछे नहीं धकेल सकते। हमें इनके लिए **(affordable and Sustainable growth patterns)** अपने हैसियत के अनुसार संपोषित विकास पैर्टन को अपनाना होगा। साथ हो उन राज्यों में 'संक्रमण बढ़ने की आशंका भी है अतः राज्यों की चिकित्सीय टीम को अपनी पूरी तैयारी सुनिश्चित करनी होगी क्योंकि अनेक राज्यों में पर्याप्त मात्रा में पी.पी.ई. मास्क तथा वेंटीलटर का होना मुश्किल हो सकता है– और कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा भी ऊपर जा सकता है। हर राज्यों को केंद्र की तरह दिशा निर्देश जारी करके जनता से सहयोग लेने की आवश्यकता होगी, स्वयं को और लोगों को भी सहिष्णु बनाना होगा।

12 मई को प्रधानमंत्री द्वारा देश को दिये गये संदेश में 20 लाख करोड़ रूपये का आर्थिक पैकिज एक आशा की किरण–दिख पड़ रही है जो भारत की जी.डी.पी. का 10ः है और इसके तहत कुटीर उद्योग धंधो, लघु उद्योग, गृह उद्योग तथा श्रमिक वर्ग के लिए अनेकों प्रावधान सल्ग्न हैं। पैसों के आवंटन पर विवाद होंगे जो भारतीय संघवाद में प्रारंभ से जुड़ा है– पंरतु ऐसे नाजूक मोड पर जहाँ 'जीने को जद्दोजहद है' मौत का संक्रमण है– अर्थव्यवस्था डूब रही है– वैसी परिस्थिति में आत्मनिर्भर बनाने का यह महत्वपूर्ण कदम सराहनीय है। आज हर राज्य को आत्म निर्भर बनना ही होगा और यह राज्यों की रजामंदी, केंद्र के साथ साझेदारी, आत्मबल तथा आत्मविश्वास से ही संभव है। आज देश की प्राथमिकता, **Economy, infrastructure, technology, vibrant demography and demand** बन चुकी है तो हर राज्य को भी अपने संसाधनों एवं मानव संसाधन का सदुपयोग करके उस लक्ष्य को पाना है। अपने हर क्षेत्रीय (लोकल) वस्त्ओं को वैश्विक (ग्लोबल) बनाना होगा और हर व्यक्ति को अपने क्षेत्रीय 'वस्तुओं' का विज्ञापन खुलकर करना होगा। अर्थात् **Local** को **Vocal** करना होगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रवासी मजदूरों को दो महीने तक मुफ्त राषन देने का ऐलान किया। सभी राज्यों में मौजूद पवासियों जो **N.F.S.A.** या राज्य कार्ड धारक नहीं है सभी को दो महीने तक पाँच किलो अनाज प्रति व्यक्ति तथा एक किलो चना प्रति परिवार दिया जायेगा।

यह सर्वविदित है– कोरोना ने सीमाओं का फासला तय करके अपने संकट का कहर हर इन्सान पर डाल रखा है। आज हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म, हर लिंग इसके संकट से संघर्ष कर रहे हैं। 'वैश्वीकरण' से क्षेत्रीयकरण हो रहा है और हर प्रांत इस समस्या का समाधान ढूंढ़ने में लगा है। परंतु 'कच्छ का भूकंप' राज्यों' को एक उत्साह दे सकता है जिसने मौत के गहरे चादर को अंतत फेंक ही दिया और पुनः आथक प्रयास से गतिमान हो उठा। यह सभी 'प्रवासी मजदूर' अपने राज्य के संसाधन है, जिनका समयानुसार उचित प्रयोग व इस्तेमाल करना ही कोरोना के संकट से उभार सकता हे। बदलते युग में अर्थव्यवस्था पुनः खड़ी होगी और यही श्रमिक अपने योगदान द्वारा कुटीर उद्योग धंधा, गृह उद्योग धंधों के माध्यम से अपने अपने राज्यों में क्षेत्रीय उत्पादन संसाधन द्वारा राज्यों को गतिमान बनायेंगे।

कोरोना का यह कहर एक 'अवसर' बन कर आया है– जहाँ दोनों राज्यों (जहाँ से लोग जा रहे है एवं जहाँ लोग पहुँच रहे हैं) को अपनी नीतियोंका मूल्यांकन करना जरूरी है। बड़े–बड़े महानगरों को अपनी समीक्षा करनी पड़ेगी कि यदि उनका विकास इन्हीं 'मजदूरों' के बलबूते पर था तो क्या वे उन्हें 'वो– सुरक्षा दे पायें, जो उनको रोक सके– आखिर इन श्रमिकों का हौसला क्यों टूटा? क्या भविष्य में ऐसी गलतियाँ होती रही तो बड़े–बड़े शहरों का शहरीकरण, औद्योगीकरण रूक जायेगा, अतः समय रहते, कोरोना संकट ने उन्हें श्रमिक कानून सुरक्षा प्रावधानों में ज्यादा संजीदगी ज्यादा तत्परता दिखाने की सीख दी है।

इस श्रमिक पलायनवाद ने गृहराज्यों (Home states) को पुनः अवसर दिया है कि अपनी अर्थव्यवस्था और शैक्षणिक संस्थाओं को पुनः जीवित करें। जिस मध्यम वर्गीय एवं निम्नवर्गीय लोगों ने अपने राज्यों को छोड़कर दूसरे राज्यों में पनाह ली थी। वो वापस लौटने लगे है– अभी संख्या तो बहुत कम है, पर उनकी पुनः वापसी एक 'गलती का अहसास' है– आज अगर हर राज्य अपनी 'अर्थव्यवस्था– मजबूत कर ले, शिक्षा का स्तर उच्च कर लें तो मजदूर एवं छात्र बड़ी संख्या में राज्य से पलायन नहीं करेंगे। आज बिहार में 10 लाख मजदूर वापसी कर चुके हैं, बहुत बड़ी संख्या में छात्र व शिक्षक बाहर है अगर सभी वापस जाने लगे तो बिहार का रंग रूप ही बदल जायेगा क्योंकि सभी श्रमिक, छात्र एवं शिक्षाविद प्रशिक्षित हैं। यही परिस्थिति सभी राज्यों की है। अतः हर राज्य को इसी मानवसंसाधन का उनके प्रशिक्षण का सदुपयोग करके स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाना है और यही उनके 'समस्याओं की संजीवनी है।

♦♦♦♦♦

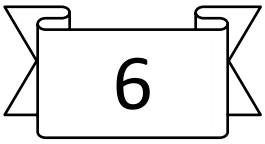

कोरोना संकट एवं भारत का परिवर्तित संघात्मक स्वरूप

अफजल अहमद अंसारी

स्नातकोत्तर, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक और दूसरी सबसे जनसंख्या वाले देश में लॉक डाउन की देशव्यापी घोषणा वास्तव में केन्द्र सरकार के द्वारा अब तक लिये गये महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है। इस से पहले भी भारत की वर्तमान केन्द्र सरकार ने अपने प्रथम कार्यकाल में दो ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं। जिसमें एक नोट बन्दी तथा दूसरा जीएसटी पर था। कोरोना महामारी के चलते केन्द्र सरकार के देशव्यापी लॉक डाउन के इस फैसले के संदर्भ में हमें भारत के संघात्मक स्वरूप पर एक दृष्टि डालनी अतिआवश्यक है। जैसा कि यह सर्वविदित है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व स्तर पर कोरोना महामारी के चलते विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा को लागू कर दिया है। एसे में बहुत से देशों ने कोरोना महामारी के चलते राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया।

विश्व के कुछ देशों ने जिनमें स्पेन, फ्रांस, इटली, तथा थाईलैंड आदि ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है जिसके मध्यम से उन्होंने शक्ति का केन्द्रीकरण कर दिया है। इसी के साथ कई ऐसे देश है जिन्होंने अपने वहाँ होने वाले आम चुनाव को अनिश्चित काल के लिये रद्द कर दिया है। बांग्लादेश ने भी अपने वहाँ होने वाले चुनावों को स्थगित कर दिया है। वही दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया ने ऐसे समय पर अपने वहाँ आम चुनाव करवा कर एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है।

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर यह प्रश्न उठता है कि भारत के पास भी एक सुनहरा अवसर था कि वह भी देश में आपातकाल की घोषणा कर भारतीय संघीय व्यवस्था की भावना को आहत करते हुये प्रांतीय सरकारों को भंग करके राजनीतिक शक्ति का केन्द्रीकरण कर ले। किन्तु भारत ने ऐसा नहीं किया क्योंकि भारत एक संघात्मक प्रकृति का देश है। जहाँ केन्द्र और प्रान्तीय सरकारे अपनी–अपनी भिन्न–भिन्न भूमिकाओं का निर्वहन उचित रूप में करती हैं। अतः फिर अगला प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि भारत में क्या ऐसा कोई कानूनी प्रावधान है।

जिसने कोरोना महामारी के समय भी विश्व के कुछ अन्य देशों की तरह भारत में आपातकाल जैसी परिस्थित नहीं उत्पन्न होने दी। इसका उत्तर है भारत में दो ऐसे विशेष कानूनी प्रावधान है जिन्होंने कोरोना महामारी के समय भी भारत के संघात्मक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखा। जिनमें प्रथम महामारी रोग अधिनियम (**The epidemic disease act**) 1897 तथा द्वितीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम (**The national disaster management act**) 2005। यह दोनों ऐसे कानून है जो केंद्र और राज्य सरकारों को महामारी के समय में कुछ शक्तियाँ सौंपती है जिससे स्थित का संज्ञान लेते हुये कुछ नियम के माध्यम से स्थिति को सुचारु रूप से संचालित किया जा सके।

भारतीय संघात्मक व्यवस्था का स्वरूप और कोरोना समस्या

यह प्रश्न प्रारम्भ से विवाद का विषय रहा है कि भारत का संघात्मक स्वरूप क्या है। हालाँकि यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भारतीय संविधान में कही भी संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इस लिए यह विषय और ज्यादा तूल पकड़ लेता है। भारत के संघीय स्वरूप पर विभिन्न विद्वानों के भिन्न–भिन्न मत है। बहुतों ने भारत को पूर्ण संघीय स्वरूप की व्यवस्था में स्वीकार किया है तो दूसरी तरफ बहुत से विद्वानों ने इसे एकात्मक स्वरूप में स्वीकार किया है। कई विद्वानों ने भारत के संघीय स्वरूप को भिन्न–भिन्न नामों से सम्बोधित किया है। जैसे के.सी व्हीयर ने भारत को एक अर्धसंघीय (**quasie federal**) राज्य कहा है। जबकि पॉल एपिल्बी ने इसे उग्रसंघात्मक (**Etreame federal**) की संज्ञा दी है। मोरिस जोन्स ने सौदेबाज संघात्मक (**Bargaining federal**) तथा ग्रैन्विल ऑस्टिन ने भारत को सहकारी संघवाद (**Cooperative federal**) की संज्ञा दी है। इसी के साथ भारत को कुछ लोग प्रतिस्पर्धात्मक संघीय स्वरूप वाला देश मानते है।

किन्तु वर्तमान समय में कोरोना महामारी के चलते जब हम भारत के संघात्मक स्वरूप को देखने का प्रयास करते हैं तो हमें भारतीय संघात्मक व्यवस्था की ग्रैन्विल ऑस्टिन के शब्दों में सहकारी संघवाद की छवि प्रकट होती है ना कि प्रतिस्पर्धात्मक संघीय व्यवस्था की। प्रतिस्पर्धात्मक संघीय व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जहाँ केन्द्र सरकार और प्रान्तीय सरकारों में अपने–अपने हितों को लेकर प्रतिस्पर्धा और असामंजस्य की स्थिति सदैव बनी रहती है। जबकि दूसरी तरफ सहकारी या सहयोगात्मक संघवाद जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ केन्द्र सरकार तथा प्रान्तीय सरकारे पारस्परिक सहयोग की भावना के माध्यम से राष्ट्र और जनता के हित को ध्यान में रखकर कार्य करती है।

भारत में कोरोना महामारी के चलते भारत का सहकारी या सहयोगात्मक स्वरूप उजागर हुआ है। जैसाकि यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची यह सुनिश्चित करती है कि स्वास्थ्य संबंधी सभी गतिविधियां प्रान्तीय सरकार के अधीन होंगी।

अतः इस प्रकार कोरोना महामारी के संकट समय केन्द्र सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सभी प्रान्तों के मध्य सहयोग और सामंजस्य बना कर सबके साथ एक समान व्यवहार कर रही है केन्द्र सरकार प्रान्तीय सरकारों की आवश्यकता के अनुसार आर्थिक तथा स्वास्थ्य सामाग्रियाँ सुविधाएँ मुहैया करा रही है। कोरोना संकट के चलते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो की आपदा प्रबंधन अधिनियम की समिति की अध्यक्षता करते है ने 11 मई तक कुल पांच बार देश की भिन्न–भिन्न प्रान्तीय सरकारों से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से कोरोना संकट से निपटने के लिये कई दिशा निर्देश साझा किये हैं। इसी के साथ यह संदेश भी दिया कि हमें कोरोना महामारी के संघर्ष के साथ एकजुट होकर लड़ना होगा। प्रधानमन्त्री की यह पहल हमें निम्न से उच्च दृष्टिकोण (**Bottom up approach**) पर आधारित प्रतीत होती है। इसी के साथ यह भी स्पष्ट होता है कि कोरोना महामारी के इस संकट ने भारतीय संघीय व्यवस्था के सहकारी स्वरूप को उजागर किया है। हालांकि इस में कुछ अपवाद भी सम्मिलित हैं जैसा कि केरल और पश्चिम बंगाल की प्रान्तीय सरकार ने केन्द्र सरकार पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए कहा है केन्द्र सरकार सबके साथ समान व्यवहार नहीं कर रही है। किन्तु हम इन अपवादों को नियम के तौर पर नहीं देख सकते। इस में कोई संदेह नहीं है कि इस संकट के दौरान केन्द्र और प्रान्तीय सरकारों ने एक भावना से तथा पारस्परिक सहयोग से कार्य किया है। जिसने भारत के संघात्मक स्वरूप को निश्चित ही सहकारी या सहयोगात्मक रूप को उजागर किया है।

♦♦♦♦♦

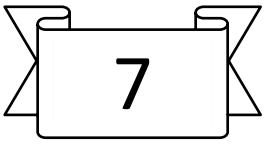

कोरोना संघर्षः केंद्र एवं राज्य संबंधों के नये आयाम

डॉ रंजना

शैक्षणिक परामर्शी, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राँची, झारखंड

नवम्बर, 2019 में वुहान (चीन) से फैली करोना महामारी ने विश्व के अन्य देशों के साथ–साथ भारत को भी अपना निशाना बनाया है। यह संकट प्रारंभ में गंभीर नहीं समझा गया लेकिन उत्तरोत्तर यह इतना गंभोर होता चला गया कि 22 मार्च, 2020 को मध्यरात्रि से मात्र चार घंटे की मोहलत पर संपूर्ण देश में तालाबंदी (लॉकडाउन) लागू करनो पड़ो। सारे उद्योग–धन्धे सरकारी, अर्ध–सरकारी, निजी कार्यालय बंद करने पड़े। अनुबंध पर कार्यरत सारे कर्मचारी, श्रमिक बेरोजगार हो गये और अपने घर लौटने को बेचन हो गये। ऐसे में सरकार ने 1897 के संक्रामक रोग अधिनियम (एपिडेमिक डिसीज ऐक्ट) और 2005 के 'आपदा प्रबंधन अधिनियम' (डिजास्टर मनेजमेंट ऐक्ट) को लागू किया जिसके अंतर्गत संपूर्ण देश के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का पालन अनिवार्य कर दिया गया।

साथ ही, संविधान के चौथे भाग में वर्णित 'नीति निर्देशक तत्वों' के आलोक में अपने लोक कल्याणकारी स्वरूप में आना भी समय की माँग बन गयी। सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेन्सिंग) के नियमों का पालन करते हुए सभी बेरोजगार लोगों के भोजन–आवास की व्यवस्था करना, इच्छुक प्रवासी श्रमिकों को पूरे एहतियात के साथ उनके घर वापस भेजना, क्वारांटोन (संगरोध) करने के लिए आवास की व्यवस्था करना, जो लोग संक्रमित हो गये, उनका इलाज कराना आदि अनेक प्रकार की जिम्मेवारियाँ सरकार पर आ गयी।

अधिकांश सरकारी और कुछ निजी अस्पतालों को करोना वॉर्ड में परिवर्तित करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इतनी घनी आबादी वाले देश म 'सामाजिक दूरी' के नियमों का पालन करते हुए कैसे संक्रमण से बचाव किया जाए। भारतीय संविधान को अनुसूची 7, अनुच्छेद 6 क अनुसार किसी राज्य में रहने वाले नागरिकों को 'स्वास्थ्य–सुरक्षा' राज्य सरकार का दायित्व है; किंतु राज्य सरकारें ऐसी आकस्मिक स्थिति से निपटने को तैयार नहीं थीं। न तो उनके पास पर्याप्त संसाधन थे और न ही पर्याप्त धन। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे अभूतपूर्व

कदम उठाए जिन्हें राजनीति विज्ञानी दृष्टिकोण से 'केंद्रीकृत व्यवस्था की आर बढ़ना' कहा जा सकता है।

लगातार तीन कार्यकाल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे श्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने तो संसद में अपने पहले संबोधन में उन्होनें कहा था कि उनकी कल्पना के भारत में केंद्र–राज्य के संबंध ऐसे होने चाहिए कि 'सहकारी संघवाद' का विकास हो और राज्यों के मध्य विकास संबंधी कार्यों के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित हो।

करोना संकट क पूर्व कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला, परंतु आज की परिस्थितियों में राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व बहुत हैं, मुश्किल समय का सामना कर रहे लोगों की आशायें भी बहुत हैं जबकि अधिकांश राज्य सरकारें स्वयं को सक्षम नही पा रही हैं। पहले से भी उन्हें केंद्र ने हर वित्तीय वर्ष की अपेक्षा कम राशि दी है। उनका केंद्र सरकार पर काफी बकाया है, जिसका कोई समाधान अभी नहीं हुआ है अपितु केंद्र सरकार दूसरे ढंग से सारी व्यवस्था को अपने नियंत्रण मे ले रही है। राज्यों को करीब दो महीनों तक अपने दो महत्वपूर्ण आय के स्त्रोतों–शराब बिक्री और पेट्रोलियम कर–से वंचित रहना पड़ा। पेट्रोल की बिक्री तो अभी भी नाम मात्र की हो हो रही है।

फिर भी, कुछ अच्छी प्रशासनिक क्षमता और बेहतर संसाधन वाले राज्यों ने अपने प्रदेश में कई लोककल्याणकारी योजनायं चलाईं। प्रवासी श्रमिकों के पुनर्वास, रोजगार की व्यवस्था की। जो राज्य ऐसा नहीं कर पा रहे थे, अपना वोट–बंक खतरे में देखकर उन्हें भी पूरा एड़ी–चोटी का जो़र लगाना पड़ रहा है। इस प्रकार राज्यों के बीच प्रतिस्पधा से नागरिकों को लाभ हो रहा है।

इस दौरान केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर पूरे देश की साधनविहीन जनता की भलाई के लिए कई कदम उठाए–सीधे उनके एकाउंट में किश्तों में मदद राशि भेजनी शुरू की। इस निर्णय के लिए राज्य सरकारों की सहमति नहीं ली गयी। साथ ही, राज्य सरकारों की पूरी उपेक्षा करते हुए संपूर्ण देश के पंचायत प्रतिनिधियों से वीडियो सम्मेलन के जरिए प्रधानमंत्री ने सीधा संवाद स्थापित किया और संविधान को अनुसूची 11 और 12 के तहत सभी आवश्यक निर्देश दिए। किस राज्य में कौन सा स्थान किस क्षेत्र (जोन) में रहेगा (लाल या नारंगी या हरा) यह भी केंद्र सरकार ही तय कर रही थी। 11 मई, 2020 को मुख्य–मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक में गैरभाजपा राज्यों नें इसका कड़ा विरोध किया और माँग की कि चूँकि स्थानीय प्रशासन किसी क्षत्र की आवश्यकताओं को बेहतर समझ सकता है इसलिए यह अधिकार राज्यों को दिया जाए।

केंद्र सरकार ने इस माँग को स्वीकार कर लिया। दूसरी आर बिना उनसे कोई मशविरा किए अगले ही दिन 20 लाख करोड़ के भारी भरकम पकेज (पूर्व की राशि का योग करके) की घोषणा की जो कुल जीडीपी का 10 प्रतिशत है। यह राशि पूरी तरह से केंद्र–नियंत्रित होगी और लाभार्थी इकाइयों को देय राशि बंक और संबंधित निकायों के माध्यम से प्राप्त होगी। बेरोजगार प्रवासी मजदूरों और ऐसे ही अन्य नागरिकों के लिए प्रधानमत्री केयर्स फंड से 1000 करोड़ की राशि निर्गत की गयी है जिसे राज्य सरकारों को उनकी आबादो के अनुपात में बाँटा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध राशि का कैसे सही उपयोग हो, यह देखना राज्य सरकार का ही दायित्व है। सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं। राज्य सरकारें आहत महसूस कर रहीं हैं लेकिन ऐसी लोकप्रिय सुदृढ़ केंद्र सरकार के सामने बेबस हैं जिसका न सिर्फ संसद में बहुमत है अपितु जो अंतराष्ट्रीय जगत में भी ख्याति प्राप्त कर रही है।

प्रधानमंत्री अपने संबोधनों में नागरिकों में राष्ट्रीयता और 'आत्मनिर्भर भारत' की चतना जगाने का प्रयास करते हैं। स्थानीयता को प्रोत्साहन (लोकल वोकल) और स्थानीय से वैश्विक (लोकल ग्लोबल) का नारा देकर विदेशी सामानों के बहिष्कार का संकेत दिया। इसके तुरंत बाद गृह मंत्रालय ने सेना और पुलिस के कैंटोनों में से विदेशी सामान हटा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा यह साबित किया है कि देश की जनता में यह क्षमता है कि वह 'आपदा' को 'अवसर' में बदल सके। इसके बाद वित्तमंत्री ने जो राहत पकेज का खुलासा किया, उससे लगा कि यदि सही ढंग से इन योजनाओं को लागू किया जाए तो 'आपदा' में 'अवसर' वाली बात सही साबित हो सकती है।

इन नये घटनाक्रमों के साथ केंद्र सरकार ने राज्यों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपने 'आपदा फंड' का उपयोग कर सकती हैं। साथ ही, प्रधानमंत्री ने १५ मई २०२० तक सभी राज्य सरकारों को इस चुनौती से निपटने के लिए अपनी–अपनी योजनायें प्रस्तुत करने को कहा है। इस प्रकार, राज्यों को कुछ पहल करने का अवसर न देते हुए भी यह संकेत दिया जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें आपसी ताल–मल के साथ काम कर रहीं हैं। आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकारों के पास केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों को लागू करने की बाध्यता है। केंद्रीय योजनाओं की घोषणा होते ही उत्तर प्रदेश सरकार ने लोन मेला लगाकर जरूरतमंदों को राहत देने की प्रक्रिया शुरू कर दी।

वैसे, देखा जाए तो केंद्र को चुनौती देकर राज्य सरकारें स्वच्छन्द बनें ऐसा न संविधान निर्माताओं का मत था और न ही देश क शीर्ष न्यायालय ने अपने किसी निर्णय में ऐसा

परिलक्षित किया है। राज्यों की शक्ति को केंद्र की ही शक्ति की एक धारा माना जाता है, जैसे अभी इस वैश्विक संकट के समय जब हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने अपने–अपने श्रम कानूनों में बदलाव लाकर विदेशी निवेश को आकर्षित करने की योजना बनाई तो केंद्र सरकार ने पूरा समर्थन दिया। इस प्रकार, आशा की जा सकती है कि जब 'विकास' और 'आत्मनिर्भर भारत' की बात आएगी, समान स्तर (even keel) और सहकारी संघवाद (को–ऑपरेटिव फेडरलिज्म) संबंधी प्रतिबद्धतायें पूरी हो जाएँगी।

♦♦♦♦♦

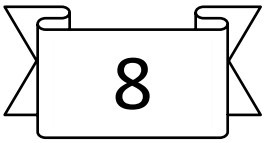

8

कोरोना संकट एवं संघर्षः केरल मॉडल के परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन

जया ओझा

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

वर्तमान में विश्व एक ऐसी महामारी का शिकार हो रहा है, जिसके समाप्ती का मार्ग अभी तक किसी भी देश को नहीं मिला। कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रत्येक देशों द्वारा अपने–अपने स्तर पर निरंतर संघर्ष किया जा रहा है। भारत द्वारा भी इस संकट से उभरने के लिए नित नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके कारण कई देशों की आर्थिक गतिविधियां बंद हैं, लोग अपने–अपने घरों में बंद हैं। प्रत्येक क्षेत्र पर इसके प्रभाव की चर्चा हो रही है। प्रभाव के साथ–साथ इसके समाधान पर भी पूरे विश्व द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

भारत में भी यह प्रयास प्रत्येक स्तर पर देखने को मिलता है। यहाँ पर केंद्र एवं राज्य दोनों ने मिलकर सहयोगात्मक कदम उठाए जिसके कारण भारत आज कई अन्य देशों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में है। इस संघर्ष में केरल राज्य ने अहम भूमिका निभाई। केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है जहां सक्षरता दर अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वोत्कृष्ठ है। यहाँ के विकेन्द्रीकरण की नीति सफल सिद्ध हुई है। इस प्रकार यहाँ के लोग भी जागरूक हैं। केरल के अंतर्गत राज्य स्तर के निर्णय में पूर्णत राजनीतिक वर्ग ही निर्णय नहीं लेता अपितु इसमें प्रत्येक वर्ग (नौकरशाही वर्ग, आपातकालीन प्रबन्धक वर्ग आदि) के लोग सम्मिलित होते हैं।

सभी वर्गों के सुझावों को महत्ता दी जाती है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि कोरोना के संघर्ष को लेकर क्या भारत में केरल द्वारा एक नया मॉडल प्रस्तुत किया गया है? तेलंगाना एवं कर्नाटक जैसे राज्यों ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा केरल के स्वास्थ्य मंत्री से परामर्श लिया कि उनके राज्य ने क्या ऐसा नया करने का प्रयास किया जिसने केरल में कोरोना पर नियंत्रण बनाए हुए है। वर्तमान में जिस प्रकार भारत में दो दिन में दस हजार मरीज जुड़ रहे हैं उससे यह प्रतीत हो रहा है की भारत में जल्दी ही मरीजों की संख्या एक लाख अवश्य होगी। भारत का संघर्ष कोरोना को लेकर है, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि यह देखा जाए कि भारत के अंतर्गत किस राज्य द्वारा इस संकट से उभरने का बेहतर प्रयास किया जा रहा है।

30 जनवरी 2020 को केरल राज्य में कोरोना का पहला केस मिला। चीन के वुहान शहर से वापस आई एक मेडिकल छात्रा कोरोना संक्रमित मिली। उसी दिन से केरल द्वारा कोरोना विषय को गंभीरता से लिया गया, आपदा घोषित करने के साथ ही सीमाओं को भी बंद करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप 30 जनवरी से 15 मार्च तक संक्रमित मरीजों की संख्या केवल 24 ही पाई गई। यद्यपि इसके बाद यहाँ मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई परंतु फिर भी यहाँ संख्या 560 तक ही पहुँच सकी जबकि इसी समय अन्य राज्यों में यह संकट बढ़ता चलता गया, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अधिक कोरोना संक्रमित मिले। इतने दिनों में केरल ने संक्रमण पर नियंत्रण बना कर रखा। केरल में संपर्क अभिवीक्षण बहुत पहले ही आरंभ कर दिया गया था, यह एक ऐसा राज्य है जहां पहले भी निपाह वाइरस का अनुभव किया गया था उस समय भी संपर्क अभिविक्षण द्वारा ही इससे निजात पाया गया था। इसके कारण यह पहले से ही पता था कि प्राथमिक या द्वितीयक संपर्क से कोई भी बीमारी प्रसारित होती है तो कैसे उनको पृथक किया जाए एवं उसका उपचार किया जाए।

केरल की पहलः–

सशक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँः– केरल स्वतन्त्रता के पूर्व ही अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में भरपूर निवेश कर चुका था। आज से 100 वर्ष पूर्व देश का पहला 'प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र' केरल में बनाया गया था इससे पहले भारत में कोई स्वास्थ्य केंद्र विद्यमान नहीं था। आयुर्वेद के कई महत्वपूर्ण केंद्र भी केरल में पाए जाते हैं यहाँ के अधिकतर लोगों के द्वारा आयुर्वेद (होम्योपैथिक दवाओं) का प्रयोग किया जाता है। इनके पास आधुनिक दवाइयों के श्रेष्ठ विभाग के साथ कई सामान्य अस्पताल भी हैं। इस संक्रमण का जैसे ही आगमन हुआ यहाँ के हेल्थकेयर वर्कर्स द्वारा इस विषय को गंभीरता से लिया गया। कई हेल्थकेयर वर्कर्स एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं की टीमें राज्य के हर गाँव के घर–घर जाकर लोगों को इस वाइरस के बारे में समझाया। इस प्रकार यह गाँव– गाँव तक का निवेश ही है जिसका परिणाम इस कोरोना के संकट से उभरने में देखा जा सकता है।

प्रेस कोन्फ्रेंस का योगदानः– केरल के मुख्य मंत्री (पिनराई विजयन) द्वारा नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है। यहाँ प्रत्येक दिन सांध्य में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जा मुख्यतः मलयालम एवं अंग्रेजी भाषा में होती है। इसके अंतर्गत संक्रमित मरीजों की संख्या एवं ठीक हुए मरीजों की संख्या बताई जाती है। इसके साथ ही परीक्षण किए गए लोगों की भी संख्या का विस्तारित वर्णन होता है। 12 मई तक केरल द्वारा 38,547 टेस्ट किए गए थे। प्रेस

कान्फ्रेंस एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा राज्य आम नागरिकों को जागरूक कर सकता है। इसका लाभ केरल द्वारा उठाया जा रहा है। यद्यपि अन्य राज्य भी इसका सहारा अवश्य ले रहे हैं परंतु वह इस माध्यम से उतना सक्रिय योगदान नहीं दे प रहें हैं जितना केरल राज्य द्वारा दिया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार तो यह मानते हैं कि विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कुछ नहीं किया जा सकता।

अतिथि श्रमिकः— आज जब भारत में श्रमिक या मजदूरों की समस्या सबसे विकट हो रही है उसी समय केरल में यह निर्णय लिया गया कि प्रवासी श्रमिक वर्ग को प्रवासी न बोल कर 'अतिथि मजद्र' बोला जाएगा। केरल द्वारा ऐसी नीतियों का निर्माण किया गया जिससे कामगारों या श्रमिकों के लिए आवश्यक सहायता दिया जा सके। इनके लिए केरल सरकार द्वारा एक "कुटुंबश्री रसोई घर" बनवाया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिलों में निशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई। यह निणय 7 अप्रैल से पहले ही कर लिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि तब तक अन्य राज्य इस भयावह स्थिति को हल्के में लेने का प्रयास कर रहे थे, इसी कारण से वो अपने राज्यों में यह व्यवस्था को उपलब्ध करने में असमर्थ रहे जिसका परिणाम श्रमिकों के पलायन के रूप में दिखा। केरल ने ना केवल श्रमिक वर्ग के भोजन का ध्यान रखा अपितु यह भी समझा की श्रमिकों को अपने परिजनों से वार्तालाप भी करनी होगी इसके लिए उनके पास पैसे नहीं होंगें, केरल ने निर्णय लिया कि वो अपने अतिथि मजदूरों को उनके दूरभाष (फोन) में हर महीने 100 रुपए का रिचार्ज उपलब्ध करवाएंगे।

इस प्रकार, कुछ पहलों के द्वारा केरल निरंतर अपनी सक्रियता को बनाए रखा है, इस संकट के काल पूरे भारत राज्य के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वो दूसरे राज्यों से निरंतर सीखे एवं अपने राज्य को इस संघर्ष से बाहर निकालने का प्रयास करें।

अंततः यह कहा जा सकता है कि अधोस्तरीय स्तर पर हेल्थकेयर वर्कर्स एवं जागरूक लोगों के प्रतिनिधियों का गठजोड़ इस राज्य की 'सामाजिक पूंजी' साबित हो रहा है जो न केवल कोविड—19 के ग्राफ को ऊपर बढ्ने से रोक रहा है, अपितु नए मरीजों में बढ़ोतरी को रोकने में भो सफल हो रहा है। यह सामाजिक पूंजी केरल के स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ के रूप में परिलक्षित हो रहा है, जिसके कारण केरल कोरोना से प्रभावी स्वरूप में संघर्ष करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

डॉ इकबाल का मानना है कि हेल्थकेयर के विकेन्द्रीकरण की हमारी नीतियों ने स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पतालों एवं स्थानीय निकायों तक पहुंचाया है। जिससे आम जन में इस भयावह स्थिति को लेकर जागरूकता का विकास हुआ। अतएव, एच1 एन1, निपाह, तथा पिछले साल आई भयावह बाढ़ के अनुभव के साथ यह राज्य इस संकट से भी उभरने के लिए तत्पर है। केरल ने एक ऐसे मॉडल को प्रस्तुत किया है जो इस कोरोना संकट के समय में अन्य राज्यों के लिए प्राणदान सिद्ध हो सकता है। अन्य राज्यों को केरल से सीख लेते हुए अपनी नीतियों को परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए।

♦♦♦♦♦

9

भारत में छोटी उम्र के बच्चों पर कोरोना वायस के प्रभाव

अनिल कांबोज

महानिरीक्षक बीएसएफ (सेवानिवृत्त), एन.डी.आई.एम. में अब प्रोफेसर

डॉ० रितु तलवार

प्रोफेसर, एन.डी.आई.एम.

कोरोना वायरस ने एक ही समय में एक साथ दुनिया के लगभग सभी दशों को प्रभावित कर लिया है, कोरोना वायरस ने सभी आयु समूहों को प्रभावित किया है। कुछ समय पहले, 1918 में, स्पैनिश फ्लू ने 500 मिलियन लोगों को संक्रमित किया और वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह करते हुए अनुमानित 10 से 20 मिलियन को मार दिया। एक सदी बाद, दुनिया बड़े पैमाने पर प्रगति कर रही थी और वैज्ञानिक उच्च क्रम की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे – जैसे कि वास्तविक और आभासी स्रोतों के बीच की सीमाओं को धुंधला करना। जीन–संपादन जैसे पथ–ब्रेकिंग टूल के साथ सशस्त्र। इंसान भगवान के साथ खेलना और डिजाइनर बच्चे बनाना सीख रहा था। फिर कोरोना वायरस (।ै–ब्व्ट –2), चीन सूक्ष्मजीव पैदा किया जो संक्रामक श्वसन बीमारी को संक्रमित करता है, दुनिया को अपने घुटनों पर लाता है।

महामारी अभी भी नदतंअमसपदह है और इसके अंतिम मानव और आर्थिक प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। पहले से ही एक अभूतपूर्व वैश्विक लॉकडाउन चल रहा है। स्कूल, कॉलेज, मॉल, थिएटर और बहुत कुछ बंद हो गया है। शिक्षा व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। भारत में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली आ गई है, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह इतनी तेजी से आएगा। भारत में एक एड–टेक क्रांति चल रही है, इसलिए। इस परिवर्तन को चलाने वाले इंजन भारत के युवाओं के कौशल और कौशल का उपयोग करते हुए घरेलू स्तर के खिलाड़ी हैं। इसका ईंधन भारत का आकांक्षी जनसांख्यिकीय लाभांश है। प्योर प्ले एड–टेक कंपनियां भारतीय मा के लिए मूल्य जोड़ना जारी रखेंगी । वे नए संस्थापकों, रोगी पूंजी और कभी–कभी बढ़ते फंडिंग राउंड द्वारा संचालित होते रहेंगे जो भारतीय एड–टेक अग्रदूतों को विकास पूंजी प्रदान कर रहे हैं। इन रुझानों के प्रकाश में, हमारा मानना है कि शिक्षा क्षेत्र में

विकास का अगला चक्र 4 ईरू एड–टेक, एडू–कंटेंट, ई–लर्निंग, और उद्यमिता द्वारा संचालित होगा। लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी निविदा बच्चों के दिमाग पर प्रभाव के बारे में बात नहीं करता है।

संयुक्त परिवार या विस्तारित परिवार प्रणाली में रहने वाले बच्चों के लिए यह सबसे अच्छा समय है, जो अभी भी भारत में मौजूद है। वे अपनी संस्कृति, सामान्य ज्ञान, अन्य देशों के बारे में जान सकते हैं और अपनी सामान्य जागरूकता बढ़ा सकते हैं, जो कि आम तौर पर इन दिनों स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। संयुक्त परिवार में अन्य बच्चों के साथ खेलने के अलावा, बच्च अपने दादा दादी की कहानियों को सुन सकते हैं जिसके लिए सामान्य समय के दौरान उनके पास समय नहीं होता है।छोटे बच्चे परिवार के अन्य बच्चों से अधिक तेजी से सीखते हैं। भले ही माता–पिता दोनों कामकाजी हों, फिर भी उनका ध्यान रखा जा सकता है। यदि परिवार फ्लैटों में नहीं रह रहा है तो यह और भी बेहतर है क्योंकि उनके पास खेलने के लिए पर्याप्त क्षेत्र है।

लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, तो लॉकडाउन के कारण निविदा आयु समूह के बच्चों पर सीधा प्रभावित कर हैं। बच्चे अब घर पर अटक गए हैं जो अलगाव की ओर ले जा रहे हैं जो आगे प्रभाव डालते हैं अलगाव अकेलापन उत्पन्न करता है जो मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बुरा है। कोविद –19 का बच्चे की शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। आउट–डोरफिजिकल एक्सरसाइज जैसे दौड़ना, जंपिंग बॉल्स को पकड़ना, खींचना, लॉफ करना मोटर स्किल्स को बेहतर बनाता है। वे हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए अधिक कैलोरी जलाते हैं। धूप में खेलने से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। यह मजबूत हड्डियों को बनाने में मदद करता है, पुरानी बीमारियों का खतरा कम होता है। बाहर खेलते समय उनके पीनियलग्लैंड्स (मस्तिष्क की ग्रंथि) उच्च को उत्तेजित करते हैं और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रखते हैं। इससे बच्चे को खुश और संतुष्ट रहने में भी मदद मिलती है। घर के बाहर खेलने से मस्तिष्क भी केवल घर के अंदर खेलने की तुलना में तेज दर से विकसित होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि खेल में शामिल बच्चे स्मार्ट हैं, स्कूल में अधिक सक्रिय और शारीरिक रूप से फिट हैं। वे जीन के बारे में जानने के लिए अधिक आविष्कारशील, अभिनव जैसे सकारात्मक व्यवहार कौशल भी विकसित करते हैं इनडोर रहने वाले बच्चे पर उसके जीवन पैटर्न का बुरा प्रभाव पड़ता है। वह ज्यादातर समय टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक डेविस से चिपके रहते हैं, जहां केवल उनकी दो इंद्रियां सक्रिय होती हैं जो दृष्टि और श्रवण हैं। लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठने से छोटे बच्चों की आंखों की रोशनी भी

खराब हा जाती है। यदि यह लंबे समय तक चलता है, तो वह समय दूर नहीं है जब अधिक बच्चे चश्मा पहनेंगे। इसका अवधारणात्मक क्षमता के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह आगे चलकर मानसिक विका को बढ़ाता है। यह छोटे बच्चे की भावनाओं को भी मार रहा है। शिक्षक और छोट बच्चे के बीच का मानवीय स्पर्श गायब है। बच्चे को स्क्रीन के सामने बैठना और ध्यान केंद्रित करना मुश्किल है। एक परमाणु प्रणाली में जब माता–पिता काम कर रहे होते हैं तो बड़ा सवाल होता है कि छोटे बच्चे के साथ कौन बैठेगा ताकि उसे ऑनलाइन क्लास के बारे में समझा जा सके। जब तक कोई व्यक्ति किसी की मदद नहीं करता है, तब तक गतिविधि को छोटा नहीं समझा जा सकता है। बच्चों के बीच सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है।

एक ही आयु वर्ग के बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क उनके संचार, अभिव्यक्ति शक्ति, सहयोग और संगठनात्मक कौशल में सुधार करते हैं। बातचीत के माध्यम से चीजें सीखते हैं। वे अधिक जानने और आत्म–निर्देशित होने के लिए और अधिक उत्सुक हो जाते हैं। लेकिन घर के अंदर रहने पर, यह बच्चों के बीच गायब होगा । वायरस का बाल मनोविज्ञान पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बच्चे अपने घर में बैठे–बैठे ऊब जाते हैं। ऐसी स्थिति उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वे अलग–थलग महसूस कर रहे हैं और बच्चों के दिमाग पर काफी प्रभाव डाल रहे हैं। इस सब ने बच्चों के मन में मनोवैज्ञानिक भय पैदा कर दिया है।

इन सभी सवालों का जवाब माता–पिता को अधिक मिलनसार और परिपक्व होना है। बच्चे कभी–कभी दुर्व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन वह बड़े होने का हिस्सा है। गुस्सा और चिड़चिड़ाहट दिखाना इसका जवाब नहीं हो सकता है। उनसे दृढ़ता से बात करें जो उनकी गरिमा को बरकरार रख। उन्हें अपने निविदा उम्र के बच्चों को मनोवैज्ञानिक और बहुत सावधानी से निपटना पड़ सकता है। इस बारे में बात करें कि आप कैसा महसूस करते हैं और अपने बच्चों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह उन्हें स्वयं और दूसरों के प्रति एक सम्मानजनक दृष्टिकोण विकसित करने और जीवन में स्वस्थ संबंध बनाने में मदद करेगा। जैसा कि यह वायरस कुछ और समय के लिए रहने वाला है इसलिए हम सभी को इसकी आदत डालनी होगी और इसके साथ रहना होगा। उम्मीद है कि यह समस्या जल्द ही दूर हो जाएगी।

♦♦♦♦♦

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

अकादमिक अनुसंधान केन्द्र भवन

गुरू तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली-110007

www.dcrc.du.ac.in office@dcrc.du.ac.in @dcrcofficial +91-11-27666281